

क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या

RO /AYODHYA/BSD /2024-25/07

REGIONAL OFFICE, AYODHYA

DATE: 16/04/2024

TENDER NOTICE

Auction of Banks Vehicle

Central Bank of India, Regional Office, Ayodhya intends to sell it's under mentioned vehicle on **AS IS WHERE IS** basis, The details of the vehicle is as under,

Sr.No	Make	Registration No	Model
01	TATA INDICA VISTA	UP 75 P 2733	2011

- The Reserve Price fixed for the Vehicle no. UP75-P-2733 is RS. 34,000.00/-(RS. Thirty four thousand only).
- Interested individuals are required to submit bid as per format attached in a sealed cover with non-refundable fee of Rs. 500/-(application fees) and refundable deposit of Rs. 10000/- (and Rs.5000/-for staff and retired staff of Central Bank of India) by separate DD/Pay Order favoring Central Bank Of India, Regional Office, Ayodhya.
- The tender bid without Tender Fee (not applicable to staff/ex-staff) and Tender Deposit will not be entertained,
- Inspection of the vehicles can be done by interested individuals from 18.04.2024 to 25.04.2024 between 11 am to 4 pm (contact Mrs Pratichi, mobile no.8303975326)
- The sealed cover should boldly super scribe **"TENDER BID FOR PURCHASE OF BANKS CAR IN AUCTION "and must reach to** Chief Manager, BSD, Central Bank Of India, Regional Office, R L complex, first floor Deokali, Faizabad before 4 p,m, by 28.04.2024
- Any Bids received thereafter will not be entertained.
- The Bids will be opened on date 30.04.2024 at 3 pm in Regional Office ,Central Bank Of India, R L complex first floor, Deokali Ayodhya in presence of Bidders,
- Applicant with the highest bid will be given 7 day's time for making full payment.
- The vehicle will be delivered to the highest bidder after all formalities of (registration transfer, insurance & RTO etc.) are completed by the purchaser and documents to this effect are given to the bank.
- The vehicle will be delivered to the highest bidder after paying full amount within three days on his obtaining NOC as per Form 28 from RTO authorities, For getting the vehicle registered at his place of choice the Bank will extend full cooperation by way of giving the required letter /certificate for obtaining NOC while the responsibility and the expenses will be solely borne by the purchaser
- Bank will be discharged from its liability from the date of sale of vehicle.
- Purchaser has to get the vehicle transferred / registered in his name within one month from the date of NOC as per MV Act ;
- In case of Successful Bidder: The refundable deposit will be refunded only on production of the proof (copy of RC with due endorsements) of having the vehicle transferred in the name of purchaser,
- All charges expenditure for transfer/registration of the vehicle will be borne by the purchaser,



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या

REGIONAL OFFICE, AYODHYA

- Failure to make full payment within 7 days from the date of intimation to the successful bidder, Bank will forfeit Refundable deposit, No further correspondence will be entertained
- In case of no response from H1 bidder, the EMD shall be forfeited and offer extended to H2 (H2 to match the rate of H1). Similar procedure shall be followed in respect of H2/H3 etc. till the bank is able to get the Reserve price. Vehicle shall not be disposed of below the Reserve price.
- In case of any dispute, jurisdiction will be restricted to Ayodhya only.
- Bank reserves its right to accept/reject any tender/proposal without assigning any reason.

(Pratichi)
Manager-BSD

(Abhijeet Singh)
Manager-HCM

(Sachin Srivastava)
Senior Manager

(Manoj Kumar Shrivastav)
Chief Manager-BSD

(Ajay Kumar Pandey)
Chief Manager-BSD



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या

REGIONAL OFFICE, AYODHYA

क्षेका/ अयोध्या/बीएसडी/2024-25/07

दिनांक: 16.04.2024

निविदा सूचना

बैंक वाहन की नीलामी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या निम्नलिखित वाहन को **जैसा है जहाँ है** के आधार पर बिक्री करने का आह्वान करता है। वाहन का विवरण निम्न है :-

क्र.सं.	मेक	पंजीकरण सं.	माडल
1	टाटा इंडिका विस्टा	UP 75 P 2733	2011

- कार का आरक्षित मूल्य वाहन सं UP 75 P -2733 के लिए ₹.34,000/- रु निर्धारित किया गया है।
- इच्छुक व्यक्तियों को संलग्न प्रपत्र के अनुसार **रु. 200/- (आवेदन शुल्क)** के अप्रतिदेय शुल्क तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या के पक्ष में **रु.10000/-प्रतिदेय (तथा रु.5000/- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समस्त स्टाफ एवं सेवानिवृत्त स्टाफ)** अग्रिम जमा राशि प्रति वाहन के प्रतिदेय डीडी/भुगतान आदेश के साथ मुहरबंद लिफाफे में बंद करके प्रस्ताव जमा करना है।
- बिना निविदा शुल्क तथा बिना अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) के बिना निविदा बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- वाहन का निरीक्षण दिनांक 18.04.2024 से 25.04.2024 तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच किया जा सकता है। (संपर्क- प्रतीची ,8303975326)
- मुहरबंद लिफाफे पर नीलामी में बैंक कार की खरीद के लिये निविदा बोली लिखा होना चाहिए तथा यह मुख्य प्रबंधक-बीएसडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय ,आर एल काम्प्लेक्स देवकाली , अयोध्या को 28.04.2024 तक सायं 4.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए।
- निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किसी भी बोली को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
- बोली प्रस्तावों को बोली लगाने वालों की उपस्थिति में दिनांक 30.04.2024 को दोपहर 3.00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या में खोला जायेगा।
- सबसे ऊँची बोली वाले व्यक्ति को 7 दिन के अंदर वाहन का पूरा मूल्य चुकाना होगा अन्यथा उसकी (ईएमडी) अग्रिम जमा राशि जब कर ली जाएगी।
- वाहन उच्चतम बोली लगाने वाले को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के उपरांत आरटीओ अधिकारी से फार्म 28 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर तीन दिन के अंदर सुपुर्द किया जायेगा।
- अपनी इच्छा अनुसार अन्य स्थान पर वाहन का पंजीकरण करने के लिये बैंक आवश्यक पत्र देकर/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कराने के लिये पूरा सहयोग प्रदान करेगा जबकि उसकी ज़िम्मेदारी और खर्च पूरी तरह खरीददार का होगा
- बैंक वाहन की बिक्री की तारीख से अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जायेगा
- खरीददार को वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र की तारीख से एक महीने के भीतर कार को अपने नाम में अंतरित/पंजीकृत करा लेना होगा।
- प्रतिदेय जमा राशि खरीददार के नाम में वाहन अंतरित करने के सबूत (पृष्ठांकित आर सी(RC) की प्रति) प्रस्तुत करने पर ही धनवापसी की जायेगी।



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रीय" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911




आज़ादी का
अमृत महोत्सव


क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या


REGIONAL OFFICE, AYODHYA


- वाहन के अंतरण/पंजीकरण के लिये सभी प्रभार के खर्च खरीददार वहन करेगा।
- सफल बोली लगाने वाले को सूचना देने की तारीख से 7 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने में असफल होने पर बैंक निविदा जमा राशि को जब्त कर लेगा। इस संबंध में आगे कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
- विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र अयोध्या तक सीमित रहेगा।
- बैंक बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।


(प्रतीची)
प्रबन्धक बीएसडी


(अभिजीत सिंह)
प्रबन्धक बीएसडी


(सचिन श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रबन्धक


(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य प्रबन्धक-परिचालन


(अजय कुमार पाण्डेय)
मुख्य प्रबन्धक-बीएसडी